प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 14.11.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष का अपने घर से अपनी सहेली के पास जाने की कहकर चले जाना व वापस न आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।   तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर अभियुक्त राजकिरन पुत्र कीर्ति राम निवासी ग्राम मुईउद्दीनपुर थाना नारकी जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 22 वर्ष का नाम प्रकाश में आया जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 14.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजकिरन पुत्र कीर्ति राम निवासी ग्राम मुईउद्दीनपुर थाना नारकी जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादिया की पुत्री से काफी समय से बातचीत थी। मैं वादिया की अपने साथ ले गया था और मौका पाकर मैंने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजकिरन पुत्र कीर्ति राम निवासी ग्राम मुईउद्दीनपुर थाना नारकी जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 13.11.2025 को थाना मसूरी के इन्द्रगढी गांव में प्रथम पक्ष के देशराज पुत्र नत्थू सिंह का द्वितीय पक्ष सत्यप्रकाश पुत्र नत्थू सिंह निवासीगण इन्द्रगढी थाना मसूरी के बीच महिलाओं में आपसी मारपीट हुयी थी जिसके सम्बन्ध में मजरूब का मेडीकल कराकर प्राप्त तहरीर के आधार पर द्वितीय पक्ष के सत्यप्रकाश पुत्र नत्थू सिंह आदि के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त प्रशान्त उर्फ मोगली पुत्र देशराज निवासी इन्द्रगढी थाना मसूरी द्वारा अपने साथी सुनील पुत्र लालचन्द के साथ दूसरे पक्ष के सत्यप्रकाश उपरोक्त के घर के पास तमंचा ले जाकर गाली गलौच व धमकी दी गयी जिसका सोशल मीडिया प्लेटफार्म " X " पर वीडियो वायरल हुआ था। उक्त

प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा 115(2)/118(1)/351(3)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त प्रशान्त उर्फ मोगली पुत्र देशराज निवासी सतीश प्रधान के सामने वाली गली इन्दरगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अंग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे ताऊ सत्यप्रकाश ने मेरे माता-पिता के साथ मारपीट कर दी थी जिस कारण मैं तंमचा लेकर अपने साथी सुनील पुत्र लालचन्द के साथ डराने व धमकाने के लिये ले गये उनके यहां गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

प्रशान्त उर्फ मोगली पुत्र देशराज निवासी सतीश प्रधान के सामने वाली गली इन्दरगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

यातायात जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा
हेतु यातायात पुलिस द्वारा वॉकथॉन का आयोजन

उत्तर प्रदेश शासन एवं यातायात निदेशालय, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में माह नवम्बर-2025 को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। यातायात माह के दौरान सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में दिनांक 16-11-2025 (रविवार) को यातायात पुलिस द्वारा सिविल डिफेन्स के सहयोग से वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। यह वॉकथॉन रामलीला मैदान, कविनगर से प्रातः 08:00 बजे प्रारम्भ होकर शास्त्रीनगर चौराहा – हापुड़ चुंगी – सी-ब्लॉक कविनगर होते हुए पुनः रामलीला मैदान, कविनगर पर समाप्त होगी।

इस वॉकथॉन में गाजियाबाद के प्रतिष्ठित महानुभावों के साथ-साथ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी, सिविल डिफेंस के पदाधिकारी एवं वालंटियर्स, एनसीसी कैडेट्स, स्कूल/कॉलेजों के छात्र-छात्राएँ, तथा बड़ी संख्या में आमजन सहभागिता करेंगे।

सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अतः समस्त गाजियाबाद वासियों से अपील है, कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित इस वॉकथॉन में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर इसे सफल बनाने में यातायात पुलिस गाजियाबाद को अपना सहयोग प्रदान करें।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा बैटरी चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुयी इलैक्ट्रिक वाहनों की 10 बैटरी, चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण(कटर, हथौडा, प्लास व पेचकस) व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 13.11.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी अक्षय कुमार पुत्र चरण सिंह निवासी 1449/910ए/31 गली न0 8 जगजीवन नगर शाहदरा दिल्ली द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा सैक्टर16ए वसुन्धरा स्थित इण्डाफास्ट स्वैप एनर्जी प्रा0लि0 से 11 बैटरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त क्रम में दिनांक 13.11.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर बैटरी चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त अब्दुल रज्जाक पुत्र अबाद अली निवासी ग्राम तिलवेगमपुर थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 23 वर्ष को रूप चौधरी कट के पास सेक्टर 14 वसुन्धरा से चोरी की हुयी इलैक्ट्रिक वाहनों की 10 बैटरी, चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण (कटर, हथौडा, प्लास व पेचकस) व घटना में प्रयुक्त 01 कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल रज्जाक पुत्र अबाद अली उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल रज्जाक पुत्र अबाद अली उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि बरामद चोरी की बैटरियों को अभियुक्त व उसके भाई अब्बास व अब्बास के दोस्त के साथ मिलकर दिनांक 11.11.2025 को सैक्टर 16ए वसुंधरा हनुमान मंदिर के पास वाले चार्जिंग पोइंट से इसी लोहे के कटर, हथौडा, पेचकस व प्लास की मदद से चार्जिंग पोइंट का शटर तोड़कर बैटरी चोरी की थी। तीनों अभियुक्त बरामद चोरी की बैटरियों को बेचने की फिराक में थे और अब्बास व उसका दोस्त 01 बैटरी सेम्पल लेकर किसी को बैटरी बेचने की बात करने गए थे और अभियुक्त कार के पास था कि तभी पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अब्दुल रज्जाक पुत्र अबाद अली निवासी ग्राम तिलवेगमपुर थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की हुयी इलैक्ट्रिक वाहनों की 10 बैटरी, चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण(कटर, हथौडा, प्लास व पेचकस) व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल रज्जाक पुत्र अबाद अली उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा एटीएम में प्लेट लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एटीएम में प्लेट लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्राप्त 2,000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 सनमाइका प्लेट बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 14.11.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी निखिलेश चन्द्र ब्रांच मैनेजर इण्डियन बैंक शोप न0 32/33 ग्रौर ग्रीन सिटी गौर ग्रेवीटी माल वैभव खण्ड इन्दिरापुरम द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा इण्डियन बैंक के एटीएम में लगे एटीएम डिस्पेन्सर में प्लेट/स्ट्रीप लगाकर धोखाधड़ी कर 2,000/- रूपये

चोरी कर लेने के सम्बन्ध में धारा 318(2), 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 14.11.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एटीएम में प्लेट लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाला 01 अभियुक्त सुनील कुमार वर्मा पुत्र रामबरन वर्मा निवासी हाल पता अशोक प्रधान का मकान गली न0 3 होशियारपुर थाना 49 बरौला नोएडा मूल पता गाव जमालपुर थाना जेठवारा जिला प्रतापगढ उम्र करीब 35 बर्ष को सेक्टर 62 अन्डर पास से एटीएम में प्लेट लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्राप्त 2,000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 सनमाइका प्लेट सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 318(2), 305 बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त इस सनमाइका की प्लेट को एटीएम मशीन में जहा से रूपयों की निकासी होती है, वहा फसा फंसाकर चला जाता है, जैसे ही कोई व्यक्ति एटीएम से रूपये निकालता है तो उसके रूपये सनमाइका की प्लेट से रूक जाते है और बाहर नही आते बाद में जब वह व्यक्ति एटीएम से चला जाता है फिर अभियुक्त उस एटीएम में जाकर उस प्लेट को हटाकर रूपयों को निकाल लेता है। जिसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुनील कुमार वर्मा पुत्र रामबरन वर्मा निवासी हाल पता अशोक प्रधान का मकान गली न0 3 होशियारपुर थाना 49 बरौला नोएडा मूल पता गाव जमालपुर थाना जेठवारा जिला प्रतापगढ उम्र करीब 35 बर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

एटीएम में प्लेट लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्राप्त 2,000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 सनमाइका प्लेट बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध एटीएम में प्लेट लगाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर पैसे निकालने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा शोरुम मे चोरी करने वाले 01 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से रु 2,20,000 रुपये नकद व 01 अदद मोबाईल वीवो सिल्वर रंग बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 03.11.25 को वादी श्री तरुण शर्मा पुत्र जयकिशन शर्मा द्वारा तहरीर दी कि दिनांक 03.11.25 को समय करीब 00.48 बजे किसी अज्ञात चोर द्वारा मेरी दुकान मै0 शान्ति एन्टरप्राईजेज से करीब 12,80,000 रुपए चोरी कर लिए गए हैं। इस सूचना पर थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर टीम गठित की गयी। दिनांक 14.11.2025 को द्वारा थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा बसंत चौक पर चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना , लोकल इनपुट, सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शोरुम में चोरी करने वाले एक शातिर अभियुक्त अभिमन्यु को आरडीसी रेलवे फाटक के पास पटरियो के किनारे बनी रेलवे भवन के बरामदे से मय चोरी किए गए 2,20,000 रुपए नकद व एक मोबाईल वीवो सिल्वर रंग सहित गिरफ्तार किया गया आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि पिछले साल गाजियाबाद में मैंने रेलवे स्टेशन के पास चौपड़ा टैन्ट हाउस पर करीब 8-9 महीने पहले काम किया गया वहां वह लोग कम पैसे देते थे इसलिए मैंने काम छोड़ दिया और मैं फुटपाथ व रेलवे स्टेशन पर रहने लगा। दिनांक 02/03.11.2025 की रात्रि में गाजियाबाद पुराना बस अड्डा के पास एक सैनेटरी व हार्डवेयर के शोरूम मे मैंने अकेले ही चोरी की थी। कुछ दिन पूर्व मैं बस अड्डा गाजियाबाद की ओर आया तो इस सेनेटरी व हार्डवेयर शोरूम की तीसरी मंजिल पर आगे फ्लैक्स लगा था तथा फ्लैक्स के पीछे कोई दरवाजा या शटर या सुरक्षा की कोई रूकावट न दिखी तथा शोरूम के सामने लोहे के फ्रेम से चढ़ने का रास्ता भी दिखायी दिया और घटना से एक-दो पहले रैकी करने के बाद अकेले ही चोरी करना तय किया। घटना वाली रात्रि समय करीब 11.30 बजे मैं इस शोरूम के बाहर आया तथा वहां उसके बाहर शराबी का नाटक कर लेट गया उसके बाद करीब 12.00 बजे रात्रि में सड़क के सुनसान हो जाने पर मैं बराबर की दुकान की छत पर गया तथा वहां पर शोरूम के सामने लगे फ्लैक्स के फ्रेम से ऊपर चढ़ गया और तीसरी मंजिल से शोरूम के अन्दर गया फिर अन्दर से सीढ़ियों के रास्ते अन्दर ग्राउण्ड फ्लोर पर रखे कैश काउण्टर से रूपये निकाले जो करीब 04 लाख 30 हजार रूपये थे इनमे से 02 लाख 20 हजार रुपए मुझसे बरामद हुए हैं बाकी के रुपयों में से 63 हजार रुपए मैंने अपने पिता के एक्सिस बैंक के खाते ITS चौराहा फरूखाबाद मे जमा किये तथा वीवो कम्पनी का वाई 400 प्रो 5 जी फोन जो मुझसे बरामद हुआ है वह मैंने दिनांक 04.11.2025 को इन्हीं चोरी के पैसों से अपने भाई गोविन्द के नाम से मै0 फरहान एण्ड कम्पनी छिबरामाऊ कन्नौज से खरीदा है। शेष धनराशि को मैंने जुआ खेलने व अपने दोस्तों के साथ दावत पानी में खर्च कर दिए हैं। इन चोरी के पैसो से मैं एक गाडी खरीदना चाहता था यह पैसे कम थे आज भी मैं चोरी करने के लिए शोरूमों में चोरी करने के लिए आर0डी0सी0 में जाने की फिराक में था कि रेलवे लाईन गाजियाबाद के पास पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1-अभिमन्यु पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम बहोरिकपुर थाना जहानगंज जिला फर्रूखाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

1- नगदी 2,20,000 रुपये

2- 01 अदद मोबाईल वीवो सिल्वर रंग

<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-</u>

1. अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में छिनैती का 01 अभियोग जनपद फतेहगढ में पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम